



कार्यालय प्राचार्य, शशिधर पण्डा शासकीय महाविद्यालय सरिया, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.)

(Affiliated to Shaheed Nandkumar Patel Vishwavidyalaya Raigarh C.G.)

E-mail ID - gncsariya17@gmail.com

Website- www.govtcollegesariya.in

स्था. / 2026-27

सरिया, दिनांक- 25/08/2026

छात्रवृत्ति सूचना

महाविद्यालय में अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के समस्त प्रथम सेमेस्टर के छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि सत्र 2026-27 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के छात्र-छात्राओं को NSP के वेबसाइट में <https://scholarships.gov.in> में OTR कराना आवश्यक है।

सत्र 2026-27 में आवेदन करने की तिथियों की जानकारी संलग्न है, अतः विद्यार्थी यथाशीघ्र छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के पूर्व ही अपना One Time Registration (OTR) कराना सुनिश्चित करें।

जो छात्र/छात्राएं सत्र 2026-27 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन कर चुके हैं वे दो दिवस के भीतर महाविद्यालय में उक्त दस्तावेज के साथ जमा करें। यदि जमा नहीं करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी।

नोट:- छात्रवृत्ति एवं OTR से संबंधित समस्याओं के लिए कम्प्यूटर कक्ष में संपर्क करें।

छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है-

1. ऑनलाईन आवेदन पत्र का हार्ड कॉपी।
2. 10 वीं 12वीं एवं अंतिम वर्ष अंकसूची की छायाप्रति।
3. जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
4. छ0ग0 का निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
5. आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
6. बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति।
7. आधार कार्ड की छाया प्रति।
8. महाविद्यालय प्रवेश शुल्क रसीद की छायाप्रति।
9. वचन पत्र।
10. पासपोर्ट साइज फोटो।
11. OTR की छाया प्रति।



प्राचार्य
शशिधर पण्डा शास. महाविद्यालय सरिया
जिला:-सारंगढ़-बिलाईगढ़(छ.ग.)

छ0ग0 पोस्ट-मैट्रिक 2026-27 छात्रवृत्ति के लिए आवश्यक अहर्ताएं एवं शर्तें निम्न है:-

1. विद्यार्थी छ0ग0 का मूल निवासी हो।
2. विद्यार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग में से किसी एक वर्ग का हो।
3. जारी आय प्रमाण पत्र 06 माह के भीतर का हो।
(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वार्षिक पारिवारिक आय 01 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए।)
4. विद्यार्थी को पिछली परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा पोस्ट-मैट्रिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होना चाहिए।
5. विद्यार्थी का आधार कार्ड उसके बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए।
6. छात्रवृत्ति संबंधित जानकारी के लिए महाविद्यालय के वेबसाइट www.govtcollegesariya.in का निरंतर अवलोकन करते रहें।
7. विद्यार्थी को किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं लेना है अन्यथा आवेदनों को निरस्त कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।


प्राचार्य
शशिधर पण्डा शास.महाविद्यालय सरीया
जिला:-सारंगढ़-बिलाईगढ़(छ.ग.)

वचन पत्र

मैं कक्षा शशिधर पण्डा
शासकीय महाविद्यालय सरिया का नियमित छात्र/छात्रा हूँ एवं मेरे द्वारा इस वर्ष
2026-27 में केवल एक ही छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया गया है। छात्रवृत्ति के
लिए मेरे द्वारा प्रदान की गई समस्त जानकारी एवं दस्तावेज सही हैं एवं मेरे नाम
से कोई चल/अचल (चार पहिया वाहन) संपत्ति नहीं है।

यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है तो छात्रवृत्ति की पूरी राशि
वसूली की जाएगी एवं सक्षम अधिकारी द्वारा हमारे खिलाफ कानूनी दशात्मक
कार्यवाही की जा सकती है।

छात्र के हस्ताक्षर

पिता का हस्ताक्षर